


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—सं.3(16)(31)/विविध/च.श्रे./अभि/07/1148-50 दिनांक 21-1-15

संशोधित परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक र.रिपोर्ट/6/1/ विविध/अभि/ 2000/ 12806-13360 दिनांक 21.10.2000 में आंशिक संशोधित करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि जिन जिलों में सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय के कार्यालय स्थित है, वहां सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय स्वयं तथा अपने स्टाफ हेतु पृथक से उपस्थिति पंजिका का संघारण करेंगे। इसके अतिरिक्त वे अपने अधीनस्थ स्टाफ के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। शेष अन्य प्रकार के अवकाश पूर्ववत् सम्बन्धित जिले के सहायक निदेशक अभियोजन के द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, अपने स्वयं व अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रतिमाह की उपस्थिति नियमित तौर पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, जिला के सहायक निदेशक अभियोजन को भेजेगें।


(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन।

80
उप निदेशक अभियोजन(मु.)
राजस्थान, जयपुर